न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला–पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 105/2023

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. मिश्रीलाल पुत्र तुलसीराम माली निवासी बेरा पीच, पी0डब्ल्यू0डी0 ऑफिस के सामने, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।
2. हीरालाल पुत्र तुलसीराम माली निवासी मालियों की हवेली, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0।		2. राकेश पुत्र नारायणलाल माली निवासी मालियों का बड़ावास, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला–पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री आनन्द भाटी, श्री मानवेन्द्र भाटी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. श्री गजेन्द्र दवे अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 02 उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक :– 07/07/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम सोजत चक प्रथम तह0 सोजत में बेरा नोक पर प्रार्थीगण सं0 1 की खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 5100 रकबा 0.18 है0, ख0नं0 5101/2 रकबा 0.0125 है0, प्रार्थीगण सं0 2 की खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 5101 रकबा 0.1925 है0 तथा दोनो प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी का ख0नं0 5101/1 रकबा 0.0150 है0 रखा व उक्त आराजीयात की कृषि भूमि जो कि बेरा नोक के ही अन्य कृषिकों की खातेदारों की कृषि भूमि जो सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के ख0नं0 5088, 5089, 5094 की सीमाओं से चारों तरफ घिरा हुआ हैं। प्रार्थीगण द्वारा सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के ख.नं. 5088 की जोत में से नया मार्ग/विद्यमान मार्ग अपनी खातेदारी कृषि भूमि ख.नं. 5101, 5100, 5101/2 में जाने हेतु आशय रखते हैं। सोजत चक प्रथम के खसरा नबर 5088 रकबा 0.22 हैक्टर जो कि राकेश पुत्र नारायणलाल जी माली की खातेदारी की कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार रास्ता की अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु व रास्ता का राजस्व रेकर्ड में तरमीम हेतु प्रस्तावित किया गया है उक्त रास्ते की चौड़ाई लगभग 20 फीट मान कर प्रस्ताव तैयार किया गया है जो पूर्वजों के समय से शांति पूर्ण लगातार उपभोग उपयोग जो वर्तमान में भी रास्ता कदीम से प्रचलित है लेकिन राजस्व रेकर्ड व ट्रैस नक्शे में दर्शाया हुआ नहीं है, जिसे दर्शाना न्यायहित में आवश्यक है। राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 5094 गैर मुमकिन रास्ता फिर खसरा नम्बर 5094 गैर मुमकिन सड़ा, खसरा नम्बर 5089 गैर मुमकिन बेरा के पास, होकर प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि में जानें के लिए प्रार्थीगण दोनों ने मिलकर आपसी सहमति

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

से बंटवाड़ा किया तब खसरा नम्बर 5101/1 रकवा 0.0150 हैक्टर की कृषि भमि को रास्ते के लिए छौड़ने की सहमति दी लेकिन सडा के खसरा नम्बर 5090 व रास्ता के खसरा नम्बर 5094 तक प्रार्थीगण हीरालाल व प्रार्थीगण मिश्रीलाल की आराजीयात की कृषि भूमि के आगे अप्रार्थीगण संख्या दो राकेश माली की खातेदारी की कृषि भूमि ही हैं जहां से बडेरों के समय से रास्ते का उपयोग उपभोग करते आये हैं जो खसरा नम्बर 5088 में हैं लेकिन राजस्व रेकर्ड में तरमीम किया हुआ नहीं होने के कारण हमेशा झगड़ा होने की सम्भावना बनी रहती हैं। जिसके आगे प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नबंर 5101, 5100, 5101/2 की कृषि भूमि पर पहुँचने के लिए राजस्व रेकर्ड में रास्ता तरमीम किया हुआ नहीं हैं, प्रस्तावित रास्ता हेतु प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर आवागमन करने के लिए खसरा नम्बर 5088 के अलावा प्रार्थीगण की खसरा नंबर 5101, 5100, 5101/2 की कृषि भूमि पर पहुँचने के लिए विकल्प मे कोई रास्ता नहीं है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र पेश कर सरहद मौजा सोजत चक प्रथम पटवार हल्का सोजत चक प्रथम के खसरा नबंर 5101, 5100, 5101/2 की कृषि भूमि पर पहुँचने के लिए 20 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थीगण संख्या दो की कृषि भूमि खसरा नंबर 5088 में से दिलाया जाने एवं रास्ते को राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने के आदेश फरमाये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 02 की ओर से जवाब प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 का जवाब इस प्रकार है कि सोजत चक प्रथम में खसरा संख्या 5100, 5101/2 व 5101 की कृषि भूमि अवश्य आई हुई स्थित है, लेकिन प्रार्थी का यह लिखना गलत है कि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 5089, 5090 व 5094 की सीमाओं से चारो तरफ गिरी हुई है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 5088 में से नया मार्ग कतई प्राप्त करने का अधिकारी नही है, क्योंकि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी कृषि भूमि की जोत में पहुंच हेतु खसरा संख्या 5070 गै. मु. रास्ता राजस्व ट्रेस नक्शे में तरमीमसुदा है, जो गैर मुमकीन रास्ता खसरा संख्या 5101 से जुड़ा हुआ है। प्रार्थीगण का नाम व खातेदारी कृषि भूमि स्वयं प्रार्थीगण अपनी स्वयं सक्षम साक्ष्य से साबित करे। प्रार्थीगण का यह लिखना गलत है कि प्रार्थीगण पूर्वजो के समय से शांतिपूर्वक लगातार उपयोग एवम् उपभोग जो वर्तमान में भी रास्ता कदीमी से प्रचलित है लेकिन राजस्व रेकर्ड व ट्रैस नक्शे में दर्शाया हुआ नहीं है, जबकि वास्तविकता में ख0 सं0 5088 में से किसी प्रकार का कोई रास्ता आया हुआ स्थित नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी कृषि भूमि के चारो तरफ तारबन्दी की हुई है, जो मौके पर आज भी कायमसुदा है। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि में पहुंच हेतु गैर मुमकीन रास्ता खसरा संख्या 5070 तरमीमसुदा है। प्रार्थीगण का यह लिखना कि राजस्व रेकर्ड में ख0सं0 5094 गै.मु. रास्ता, फिर ख0सं0

उपखण्ड अधिकारी

5089 गै.मु.बेरे के पास होकर प्रार्थीगण के खातेदारी कृषि भूमि में जाने के लिये प्रार्थीगण ने मिलकर आपसी सहमति से बंटवाड़ा किया, तब खसरा संख्या 5101/1 रकबा 0.0150 हैक्टर कृषि भूमि को रास्ते के लिये छोड़ने की सहमति दी हो, अप्रार्थी संख्या 2 को जानकारी नहीं होने से अस्वीकार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251ए के अनुसार किसी भी काश्तकार को अपनी कृषि जोत की भूमि में पहुंच हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं होने पर नजदीकी रास्ता दिया जाता है, लेकिन उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थीगण को अपनी कृषि जोत में पहुंच हेतु गै.मु. रास्ता खसरा संख्या 5070 आया हुआ स्थित है, इस प्रकार प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी कृषि भूमि की जोत में पहुंच हेतु वैकल्पिक रास्ता राजस्व रेकर्ड में तरमीमसुदा है, इसलिये प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 5088 में से नया रास्ता कतई प्राप्त नहीं कर सकता। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाने की ईश्तदुआ की हैं।

तहसीलदार सोजत से प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में वांछित तीनो बिन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक/निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्यांतिक आवश्यकता है अथवा नहीं से सम्बद्ध बरूवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/रीडर/2024/1252 दिनांक 29.08.2024 के जरिए प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा सा0मि0 की गई। **तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 सोजत, द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया** कि ग्राम सोजत चक प्रथम के ख.नं. 5101 जो ख0नं0 5070 किस्म गै0मु0 रास्ता से लगता हुआ स्थित है, लेकिन उक्त ख0नं0 5070 की सीमा ख0नं0 5068/1 पर ही समाप्त हो जाती हैं। ख0नं0 5074 किस्म गै0मु0 रास्ता तथा ख0नं0 5070 किस्म गै0मु0 रास्ता के बीच ख0नं0 5068 व 5068/1 स्थित हैं। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि ख0नं0 5100, 5101/1, 5101/2 व 5101 में आने जाने हेतु नजदीकी प्रस्तावित रास्ता ख0नं0 5088 में से होकर है, जो नजरी नक्शा में मार्क एबीसीडी द्वारा दर्शाया गया हैं। वादी ख0नं0 5094 किस्म गै0मु0 रास्ता में ख0नं0 5089 किस्म गै0मु0 बेरा व ख0नं0 5090 किस्म गै0मु0 सड़ा से ख.नं. 5088 में से प्रस्तावित रास्ता से ख.नं. 5101/1, 5101/2 से होकर ख.नं. 5100 में आ जा सकते हैं। प्रार्थीगण ख.नं0 5089 व 5090 में सह खातेदार हैं, की रिपोर्ट पेश की। जो सा0मि0 हैं। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 कीमत 606000/– रूपये प्रति हैक्टर है। फर्द मौका मय नजरी नक्शा संलग्न उपस्थित मौतबिरान के अंगूठा/हस्ताक्षर सुदा प्रस्तुत किया।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद मौजा सोजत चक प्रथम पटवार हल्का सोजत चक प्रथम के खसरा नबंर 5101, 5100, 5101/2 की कृषि भूमि पर पहुँचने के लिए 20

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थीगण संख्या दो की कृषि भूमि खसरा नंबर 5088 में से दिलाया जाए एवं रास्ते को राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने के आदेश फरमाये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में व्यक्त किया कि प्रार्थीगण को खातेदारी जोत में पंहुच हेतु ख0नं0 5070 किस्म गै0मु0 रास्ता से रास्ता उपलब्ध है, जिससे वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्ध नहीं होता हैं। प्रार्थीगण ख0नं0 5088 से रास्ता प्राप्त करने के कतई अधिकारी नहीं हैं, अतः प्रार्थीगण को प्रा0पत्र सव्यय खारिज किया जावें।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान सोजत को सुना तथा राजस्व रेकर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में ख.नं. 5070 किस्म गै0मु0 रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से लगता हुआ अवश्य स्थित है, लेकिन ख0नं0 5070 किस्म गै0मु0 रास्ता आगे ख0नं0 5068 व 5068/1 खातेदारी कृषि भूमि पर बंद हो जाता है, जिस कारण ख0नं0 5070 किस्म गै0मु0 रास्ता से रास्ता नहीं दिया जा सकता हैं। प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित नहीं होकर तहसीलदार, सोजत भू0अ0निरी0 सोजत, पटवारी हल्का की रिपोर्टानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी सं0 2 की खातेदारी भूमि में से उक्तानुसार रास्ता दिलवाया जाना अत्यांतिक आवश्यक है, जबकि निकटतम मार्ग मौका रिपोर्ट के नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार 'एबी' से होकर ख.नं. 5090 किस्म गै0मु0 सड़ा से ख.नं. 5089 किस्म गै0मु0 बेरा से ख0नं0 5094 किस्म गै0मु रास्ता से मिलता है। प्रस्तावित रास्ता 'एबी' ख0नं0 5088 कुल रकबा 0.2200 है0 में 0.0080 है0 (लंबाई × चौड़ाई = 20 मी0 × 4 मी0) किया गया हैं, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार देय प्रतिकर की दोगुणा राशि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम पटवार हल्का सोजत चक प्रथम तह0 सोजत के खसरा नबंर 5101, 5100, 5101/2 की कृषि भूमि पर पहुँचने के लिए रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

अप्रार्थीगण संख्या दो की कृषि भूमि खसरा नंबर 5088 में से में से सम्बद्ध खातेदारान के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि में से (606000/–रू0 × 2 × 0.0080 है0 = 9696/– रूपये उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है :–

क0 सं0	ख0नं0 व किस्म	कुल रकबा (है0) में	खातेदारो/काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है0 में	प्रतिकर की राशि रूपये में (डीएलसी की दौगुना)
01.	5088 मेहन्दी	0.2200 है0	राकेश पुत्र नारायणलाल हिस्सा–पूर्ण जाति–माली सा. देह खातेदार	20 मी0 × 4 मी0 = 0.0080 है0	9696/– रू

उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

यह निर्णयआज दिनांक 07/07/2025 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)